विभिन्न उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिक

1135. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं जो निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं ;

(ग) विश्व के उन देशों के नाम क्या हैं जहां बालश्रमिकों द्वारा निर्मित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) बाल श्रमिकों के संबंध में सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) (क) और (ख) बाल श्रमिकों के उद्योगवार-नियोजन का पता लगाने के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी ऐसे दो देश हैं जहां बाल श्रमिकों द्वारा उत्पादित माल के आयात पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक विधेयक पेश किया गया था, जो व्यपगत हो गया है ।

(घ) कार्यस्थल पर बालकों को शोषण से बचाने और उनकी कार्य दशाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न कानूनों में सांविधिक उपबंध बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कतिपय जोखिमकारी व्यवसायों और संक्रियाओं में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है और अन्य क्षेत्रों में उनके नियोजन को विनियमित करता है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जो मुख्यत: इन उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं, के प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 50% की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है ।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 तैयार की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रमिकों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रमों और बाल श्रमिकों की उच्च सघनता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्य योजना पर बल दिया गया है ।

कार्योन्मुख परियोजनाएं चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है । इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से कामकाजी बालकों के लाभ के लिए सी एल ए एस पी (बाल श्रम कार्रवाई और सहायता कार्यक्रम) और आई पी ई सी अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम उत्पादन कार्यक्रम) नामक दो परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं ।

Streamlining of Emigration Procedure

1136. **SHRI S. MADHAVAN :** Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to streamline emigration procedures to make it easier for people going abroad for jobs;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether he has, recently, discussed with Indians abroad about the problems in the export of manpower and if so, what are the steps being taken to promote the export of man power; and

(d) what are the steps taken to minimise the regulatory role of the protector of emigrants ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) to (c) The emigration procedure is periodically reviewed with a view to simplify it. The Minister of State for Labour and Coal during his visit to Bahrain in the month of September 1992, also utilised